A-4/1

न्यायालय जिला कलक्टर झुन्झुनूं

पीठासीन अधिकारी : उमर दीन खान,
आई.ए.एस.

अपील संख्याः 183/2020

सवाईसिंह पुत्र श्री माधोसिंह, जाति राजपूत, निवासी वार्ड बसई, तहसील खेतडी, जिला झुन्झुनू (राज)

– अपीलार्थी

बनाम

जिला रसद अधिकारी, झुन्झुनूं, तहसील व जिला झुंझुनूं।

– रेस्पोडेंट

– – –

अपील अन्तर्गत धारा 22 (क) राजस्थान खाद्य एवं आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) खिलाफ कार्यालय आदेश 10.10.2017 क्रमांक रसद/अभियोग/2017/552–58 जिला रसद अधिकारी झुन्झुनू उनवानी सरकार बनाम सवाई सिंह

– – –

उपस्थित : –

1. श्री राहुल स्वामी, एडवोकेट – अपीलार्थी की ओर से ।
2. श्रीमती अनामिका, विभागीय पैरोकार – रेस्पोडेंट की ओर से ।

आदेश

दिनांकः– 02.11.2020

प्रस्तुत अपील विद्वान जिला रसद अधिकारी झुन्झुनू के निर्णय दिनांक 10.10.2017 के विरुद्ध मय प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 के पेश की है। प्रार्थना पत्र दफा 5 मिअ0 पर बहस सुनी गई। अपील का निर्णय गुणावगुण के आधार पर करने की दृष्टि से प्रा0प0 दफा 5 मि0अ0 स्वीकार किया जाता है। प्रस्तुत अपील के संबंध में तथ्य इस प्रकार से है कि अपीलान्ट ग्राम बसई का राशन डीलर था और राशन सामग्री रेस्पोडेन्ट/सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार वितरित करता था और इसी दौरान अपीलान्ट के पास एक नोटिस क्रमांक रसद/अभियोग/2017/559 दिनांकित 10.10.2017 का रेस्पोडेन्ट द्वारा जारी किया हुआ अन्य नकल प्राप्त होने पर जानकारी हुई है जिसमे अपीलान्ट पर यह आरोप है कि आप राशन कार्ड संख्या [illegible]389621 सुरेन्द्र सिंह द्वारा केरोसीन तेल उपलब्ध न करवाने बाबत व राशन कार्ड संख्या [illegible]3045 विक्रम द्वारा बी0पी0एल0 राशन मे तय मात्रा मे गेहूं कम दिया जाना दर्ज कर जारी किया गया है और उक्त नोटिस का जबाब दिनांक 24.10.2017 तक अपीलान्ट को प्राप्त ही नही हुआ है। दिनांक 10.10.2017 को ही प्रवर्तन निरीक्षक खेतडी द्वारा श्रीमान् जिला रसद अधिकारी, झुंझुनूं को उक्त विक्रम बीपीएलधारक को गेहूं कम दिये जाने का आरोप लगाकर अपीलान्ट को निलम्बित किया जाना उचित होगा और अस्थाई वितरण व्यवस्था निकटतम उचित मूल्य दुकानदार गोविन्द राम सैन बसई को लगाया जाना उचित होगा और इसी पत्र के आधार पर दिनांक 10.10.2017 को अदालत मातहत जिला रसद अधिकारी द्वारा अपीलान्ट का जारी प्राधिकार पत्र तुरन्त प्रभाव से निलम्बित किया जाता है। इस प्रकार से एक और से अदालत मातहत द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है जिसमे तारीख दिनांक 24.10.2017 तय की जाती है। नोटिस के जबाब से पूर्व ही दिनांक 10.10.2017 को नोटिस जारी किया जाता है और उसी

A-4

दिन आदेश दिनांक 10.10.2017 पारित कर जारी प्राधिकार पत्र निलम्बित किया जाता है। जबकि कानूनन दिनांक 24.10.2017 को अपीलान्ट द्वारा उपस्थित नही होने व कोई जबाब व सबूत प्रस्तुत नही करने की स्थिति मे ही आदेश पारित किया जाना चाहिए था। परन्तु इस तथ्य पर गौर नही किया जा कर आदेश पर प्रवर्तन निरीक्षक खेतडी की प्रार्थना पत्र ही प्राधिकार पत्र निलम्बित किया गया है जो गलत रूप से किया गया है। अदालत मातहत व प्रवर्तन निरीक्षक खेतडी द्वारा यह भी अंकित नही किया के कितना गेहूं कम दिया है और केरोसीन क्यो नही दिया या कितनी मात्रा मे दिया गया है। किसी उपभोक्ता द्वारा गांव की राजनैतिक पार्टीबाजी या अन्य किसी कारण से अपीलान्ट के खिलाफ शिकायत की गयी थी। जिसकी सही जांच कर और मौके पर उपस्थित साक्ष्य के आधार पर रिपोर्ट तैयार करवा कर ही कार्यवाही करनी चाहिए थी। कानून का सिद्वान्त है कि किसी भी शिकायत या आरोप की जांच जिसके खिलाफ आरोप लगाया गया है उसको सुनकर और शिकायत से संबंधित साक्ष्य सबूत के आधार पर ही करनी चाहिए थी परन्तु अदालत मातहत ने बिना अपीलान्ट की जानकारी के बिना किसी साक्ष्य/सबूत व अपीलान्ट को सुने ही एक ही दिन मे नोटिस जारी कर दिया और उसमे दिनांक 24.10.2017 तय की गयी है जिसमे स्पष्ट अंकित कर रखा है कि आप दिनांक 24.10.2017 को 11.00 बजे मय सबूत/अभिलिखित अपना पक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। नियत तिथि को आपका प्रत्युत्तर प्रस्तुत नही होने पर आपको जारी प्राधिकार पत्र निलम्बित/निरस्त कर समस्त प्रतिभूति राशि राज्य हक मे जप्त की जाकर राजस्थान आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत नियमानुसार एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई जावेगी। इसके बावजूद दिनांक 10.10.2017 को ही प्राधिकार पत्र निलम्बित कर दिया। इससे यह स्पष्ट होता है कि अदालत मातहत ने कानूनी प्रकिया की पालना नही कर अपीलान्ट को बिना सुने भी दिनांक 24.10.2017 का निर्णय पारित करने का अधिकार नही था। अदालत मातहत के आदेश दिनांक 10.10.2017 की जानकारी अपीलान्ट को नही रही है। इस कारण से अपना जबाब, सबूत प्रस्तुत नही कर सका और न ही अदालत मातहत ने अपीलान्ट को सुनवाई का मौका दिया है क्योंकि जिस दिन नोटिस जारी किया गया था उसी दिन आदेश पारित कर दिया। जबकि नोटिस मे सुनवाई की तारीख दिनांक 24.10.2017 नियत थी। इस प्रकार बिना विधिक प्रकिया अपनाये ही निर्णय पारित किया गया है। अपीलान्ट को आदेश की जानकारी नही थी और अचानक अपीलान्ट बीमार हो गया। जिसके कारण काफी दिनों तक जैर इलाज रहा और चलने फिरने की हालत मे नही रहा। इसके बाद कोविड–19 के कारण लॉक डाउन लग गया था। अब अपीलान्ट द्वारा आदेश दिनांक 10.10.2017 की नकल प्राप्त कर अपना वकील नियुक्त कर यह अपील प्रस्तुत कर रहा है जो जानकारी के रोज से अन्दर मियाद है फिर भी किसी कारण से अन्दर मियाद नही आती है तो अलग से दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर अदालत मातहत जिला रसद अधिकारी झुंझुनूं का निर्णय दिनांक 10.10.2017 को निरस्त किया जाकर अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र बहाल किया जावे।

बहस सुनी गयी । वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुए निवेदन किया कि अपीलान्ट ग्राम बसई का राशन डीलर था और राशन सामग्री सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार वितरित करता था और इसी दौरान अपीलान्ट के पास एक नोटिस कमांक अभियोग/2017/559 दिनांकित 10.10.2017 का रेस्पोडेन्ट द्वारा जारी किया हुआ आना नकल प्राप्त होने की जानकारी हुई है जिसमे अपीलान्ट पर यह आरोप है कि आप राशन कार्ड सं0 07170302389621 धारक द्वारा केरोसीन तेल उपलब्ध न करवाने बाबत व राशन कार्ड संख्या 07170302373045 विक्रम द्वारा बी0पी0एल0 राशन मे तय मात्रा मे गेहूं कम दिया जाना दर्ज कर जारी किया गया है और उक्त नोटिस का जबाब दिनांक 24.10.2017 तक अपीलान्ट को प्राप्त ही नही हुआ है। इस प्रकार से एक और से अदालत मातहत द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है जिसमे तारीख दिनांक 24.10.2017 तय की जाती है। नोटिस के जबाब से पूर्व ही दिनांक 10.10.2017 को नोटिस जारी किया जाता है और उसी दिन आदेश दिनांक 10.10.2017 पारित कर जारी प्राधिकार पत्र निलम्बित किया जाता है। जबकि कानूनन दिनांक 24.10.2017 को अपीलान्ट द्वारा उपस्थित नही होने व कोई जबाब व सबूत प्रस्तुत नही करने की

स्थिति ने ही आदेश पारित किया जाना चाहिए था। अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर अदालत मातहत जिला रसद अधिकारी झुंझुनूं का निर्णय दिनांक 10.10.2017 को निरस्त किया जाकर अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र बहाल किया जावे।

विद्वान विभागीय पैरोकार ने बहस के दौरान वकील अपीलांट के कथनों का विरोध किया तथा तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलान्ट द्वारा उसको जारी नोटिस का आदिनांक तक कोई जबाब प्रस्तुत नही किया है। अतः अपील अपीलान्ट में कोई फोर्स नहीं होने से खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं प्रार्थी की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का भी अवलोकन किया। अदालत मातहत द्वारा अपीलान्ट को नोटिस दिनांक 10.10.2017 जारी कर दिनांक 24.10.2017 सुनवाई हेतु नियत की थी परन्तु इससे पूर्व ही दिनांक 10.10.2017 को अदालत मातहत द्वारा अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निलम्बित कर दिया जो अदालत के दृष्टि मे बिना सुनवाई किये निर्णय पारित किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। अदालत मातहत जिला रसद अधिकारी को इन आदेशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान करते हुए जवाब/सबूत पेश करने का अवसर प्रदान करते हुए पुनः गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करें। आदेश की प्रति अदालत मातहत को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 02.11.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उमर दीन खान)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुन्झुनूं